न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 312–तीन/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–1–2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़वाह, जिला खरगोन अपील प्रकरण कमांक 18/अ–70/13–14.

प्रमोद पिता नवीनचन्द शाह
निवासी पोस्ट ऑफिस चौराहा, खरगोन .....आवेदक

विरूद्ध

1– रतनबाई बेवा धन्या
2– मंगतु पिता गोविन्द
निवासीगण ग्राम बन्हेर
तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन .....अनावेदकगण

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री एच.एस. कुशवाह, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: **आ दे श** ::

(आज दिनांक 11/6/15 **को पारित)**

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़वाह, जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश 20–1–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, भगवानपुरा जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–5–2014 के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़वाह, जिला खरगोन के समक्ष दिनांक 19–6–14 को लगभग 12 दिन विलम्ब से प्रस्तुत की गई । अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभगीय अधिकारी द्वारा दिनांक 20–1–2015 को आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अपील सुनवाई हेतु ग्राह्य की जाकर प्रकरण अन्तिम तर्क हेतु नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए :–

1– अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा 5 के आवेदन पत्र को स्वीकार किये जाने मे वैधानिक त्रुटि की गई है, क्योंकि अनावेदकगण द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जो कहानी बतायी है, वह विश्वसनीय नहीं है । ऐसी स्थिति में अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में पर्याप्त कारण नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं था, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिक तरीके से आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने का आदेश पारित किया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है ।

2– अनावेदकगण द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में यह उल्लेख किया है गया कि उन्हें विचारण न्यायालय के आदेश की तत्समय जानकारी नहीं हुई थी, जबकि वास्तविकता यह है कि पेशी दिनांक 22–3–2014 को अनावेदकगण न्यायालय में स्वयं उपस्थित थे, और उनके आदेश पत्रिका में हस्ताक्षर भी है, ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के आदेश की जानकारी न होने का प्रश्न ही नही है, इस वैधानिक तथ्य पर विचार किये बिना जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है ।

3– वर्तमान प्रकरण में अनावेदकगण की ओर से जो अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था, उसका विधिवत जवाब

आवेदक की ओर से प्रस्तुत किया गया था । ऐसी स्थिति में आवेदक के जवाब पर विधिवत विचार कर आदेश पारित किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है इसलिए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है ।

4– परिसीमा अधिनियम जहां एक ओर अधिकारों को अग्रसर करता है, वहीं दूसरी ओर लापरवाह व्यक्तियों के अधिकारों को समाप्त भी करता है । ऐसी स्थिति में जो आदेश अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वर्तमान प्रकरण में पारित किया गया है, वह नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

5– परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत विधिक सलाह एवं मंजूरी प्राप्त करने में विलम्ब पर्याप्त कारण नहीं माना है, एवं ऐसा विलम्ब माफ नहीं किया जा सकता ।

तर्कों के समर्थन में एम.पी.डब्ल्यू.एन. 1989 (II) नोट नं. 176, एम.पी.डब्ल्यू.एन. 2000 (I) नोट नं. 55, एम.पी.डब्ल्यू.एन. 1986 (I) नोट नं. 14 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण में आदेश पारित करने हेतु दिनांक 15–4–2014 की तिथि नियत की गई थी, किन्तु उस दिनांक को न तो आदेश पारित किया गया, और न ही आदेश पारित करने हेतु अग्रिम तिथि नियत की गई । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण को आदेश की जानकारी नहीं होने पर उनके द्वारा कलेक्टर के समक्ष आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया, परन्तु फिर भी आदेश की जानकारी उन्हें प्राप्त नहीं हुई । अतः आदेश की कोई सूचना अनावेदकगण को प्राप्त नहीं होने से जानकारी होने पर समय–सीमा में अपील प्रस्तुत की गई है, अतः विलम्ब का कारण समाधानकारक होने से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदकगण का अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 7–5–2014 के विरूद्ध प्रथम अपील दिनांक 19–6–2014 को प्रस्तुत की गई है । संहिता की धारा 47 में प्रथम अपील

प्रस्तुत करने हेतु 30 दिवस की समय–सीमा निर्धारित की गई है । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष केवल 12 दिवस विलम्ब से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है । अनावेदकगण की ओर से अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा तहसील न्यायालय से बार–बार आदेश की जानकारी लेने पर भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई, अतः उनके द्वारा कलेक्टर को आदेश की जानकारी दिलवाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, अतः विलम्ब का कारण समाधानकारक पाते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । समर्थन में कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 19–5–2014 संलग्न किया गया है । सामान्यतः प्रकरण में जब तक अत्यधिक विलम्ब न हुआ हो, तब तक प्रकरण का निराकरण समय–सीमा जैसे तकनीकी आधार पर नहीं किया जाकर गुण–दोष पर किया जाना चाहिए । इस प्रकरण में मात्र 12 दिवस का विलम्ब हुआ है, और अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विलम्ब का समाधानकारक कारण बतलाया गया है, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 20–1–2015 को आदेश पारित कर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर अपील समय–सीमा में मान्य करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि तहसील न्यायालय के समक्ष दिनांक 22–3–2014 की पेशी पर अनावेदकगण उपस्थित थे, और उनके हस्ताक्षर हैं, इसलिए तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी अनावेदकगण को नहीं होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है, कारण प्रकरण में दिनांक 22–3–2014 को बहस सुनी जाकर आदेशार्थ 15–4–2014 की तिथि नियत की गई है, और दिनांक 15–4–2014 को आदेश पारित नहीं किया किया गया, और आदेश हेतु दिनांक 28–4–2014 की पेशी नियत की गई । दिनांक 28–4–2014 को भी आदेश पारित नहीं किया गया एवं अनावेदकगण की अनुपस्थिति में दिनांक 7–5–2014 की तिथि नियत की गई । अतः यह मान्य नहीं किया जा सकता है कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की जानकारी अनावेदकगण को थी । उनका यह तर्क भी उचित नहीं है कि परिसीमा अधिनियम जहां

एक ओर अधिकारों को अग्रसर करता है, वहीं दूसरी ओर लापरवाह व्यक्तियों के अधिकारों को समाप्त भी करता है, क्योंकि इस प्रकरण में अनावेदकगण की लापरवाही दृष्टिगोचिर नहीं होती है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत इस प्रकरण के निराकरण के लिए प्रासंगिक नहीं होने से उन पर विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़वाह, जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश 20–1–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर